इस शहर में अपना भी एक आशियाना होगा

D.J. - 24-6-13

जागरण ब्यूरो, पटना : शहरी लोगों के लिए आवास की कमी को पूरा करने के लिए बिहार राज्य आवास बोर्ड ने पहल की है। पांच साल में करीब 10 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। निर्माण कंपनियों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किया गया है। इसके तहत लोगों और संस्थाओं से जमीन ली जाएगी, जिसके एवज में या तो भुगतान किया जाएगा, या फिर प्रोजेक्ट में हिस्सेदार बनाया जाएगा।

केंद्रीय आवास और शहरी उपशमन मंत्रालय द्वारा गठित टेक्निकल ग्रुप ने प्रदेश के शहरी इलाकों में 11.90 लाख आवास की कमी का आकलन किया है। इसी गैप को भरने के लिए बोर्ड ने कदम उठाया है।

बजट सत्र में सरकार का एलान : विधानमंडल के इसी बजट सत्र में नगर विकास एवं आवास मंत्री ने कहा था कि शहरी आवास की कमी को पूरा करने के लिए व्यापक रणनीति बनाई जा रही है । प्रथम चरण में अगले पांच साल में प्रमंडलीय मुख्यालय वाले 9 शहरों में 623292 शहरी आवास बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। भूमि अधिग्रहण के लिए राशि उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव हुडको के विचाराधीन है। इस प्रियोजना से प्रदेश में निर्माण उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा और बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा।

बोर्ड की ठोस पहल

फ्लैटों के निर्माण और आवंटन को लेकर आवास बोर्ड की बड़ी बदनामी रही है। लंबे समय से बोर्ड ने अपने मूल मकसद पर कोई काम नहीं किया है। इधर बोर्ड ने पहल की है। पटना, गया और मुजफ्फरपुर में अपनी ही जमीन पर पीपीपी मोड में करीब 27 हजार फ्लैट तथा मार्केट कांप्लेक्स बनाने की दिशा में कैबिनेट की मंजूरी लेते हुए ठोस शुरुआत की है।

शहरी लोगों के लिए पांच साल में 10 लाख आवास बनाने का लक्ष्य

आवास बोर्ड ने आमंत्रित किया एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट

क्या है योजना

संख्या

10 लाख मकान बनाने का लक्ष्य 38 जिला मुख्यालयों में पांच वर्षों के दौरान

स्वरूप

मिनी टाउनशिप की तरह होंगे ये आवास। यानी जनता की जरूरत का ध्यान रखा जाएगा।

सुविधा

माल, मल्टीप्लेक्स, सामुदायिक भवन, स्कूल, अस्पताल आदि का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

संसाधन

जमीन खरीद कर आवासीय-व्यावसायिक विकास का इरादा है। जमीन के लिए जनता, लोक उपक्रम, सरकारी विभाग या निजी क्षेत्र से अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई है।

जमीन के लिए शर्त

1. जो इस योजना के लिए जमीन देना चाहते हैं, वे नकद लेकर जमीन बेच सकते हैं या या प्रोजेक्ट में हिस्सेदार हो सकते हैं। यानी फ्लैट-दुकान में हिस्सेदारी।
2. जरूरी है कि प्लाट का रकबा कम से कम 50 एकड़ का हो। शहर के दस किलोमीटर के दायरे में हो।
3. जमीन पर अतिक्रमण, कोई विवाद या देनदारी न हो।
4. जमीन मुख्य एवं संपर्क सड़क पर यातायात की दृष्टि से सुविधाजनक हो।